चंडीगढ़
www.amarujala.com
चंडीगढ़ | वीरवार | 15 मई 2014
अमर उजाला
7 राज्य
19 संस्करण
सरकार 2014 12

अब बुढ़ापे का साथी बना अलंकित

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए अलंकित एसाइनमेंट और एनएसडीएल ने हाथ मिलाया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा नियंत्रित है। अलंकित समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आलोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि पेंशन योजना सबसे आवश्यक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में कारपोरेट्स को भी लाभ है और कर्मचारियों के लिए भी च्वाइस है। इस योजना में 18 वर्ष से लेकर साठ साल के लोग रकम जमा करवा सकते हैं। होटल जेडब्लू मैरिएट में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पेंशन स्कीम का नियमित लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को कोई भी इंप्लायर ज्वाइन करता है तो उसको फायदा होगा। वह कर्मचारी के लिए पेंशन स्कीम में योगादन देगा तो उसको आयकर के नियमों में छूट मिलेगी। इसमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 सी में एक लाख रुपये की छूट और सेक्शन 80 सीसीडी (2) के तहत बेसिक सेलरी के दस फीसदी और डीए के बराबर छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अलंकित के अब तक देश में कुल 3800 शाखाएं हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन स्कीम में साठ हजार रुपये सालाना जरूरी है और इनवेस्टमेंट के लिए दो हजार रुपये बैलेंस मेंटेन करना आवश्यक है। इनवेस्टमेंट स्कीम में रिटर्न का प्रावधान है।

News Source: Amar Ujala, Chandigarh, 15th May 2014